

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-871

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

स्टार रेटिंग तकनीक

871. श्री जॉन बर्ला:

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:

श्री नायब सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'स्टार रेटिंग' तकनीक अधिक ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों के ऊर्जा बचत के उद्देश्य को पूरा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऊर्जा उपकरणों को तदनुसार वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्टार लेबल वाले या स्टार रेटिंग के लिए चुने गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपकरणों में प्रौद्योगिकीय बदलाव का भी अनुमोदन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : स्टार रेटिंग तकनीक ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उपकरणों एवं यंत्रों में, इन उपकरणों एवं यंत्रों के ऊर्जा निष्पादन को इष्टतम करते हुए ऊर्जा बचत के लक्ष्य की पूर्ति करती है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईईई) के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम में ऊर्जा निष्पादन मानदण्डों के आधार पर, संबंधित श्रेणी से प्रत्येक पंजीकृत यंत्र के लिए 1 से 5 स्टार रेटिंग (सर्वाधिक कुशल होने के लिए 5

स्टार) की व्यवस्था है। इस योजना से वर्ष 2018-19 में 55.7 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत की बचत होने की सूचना है।

(ग) और (घ) : मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत, 26 यंत्रों को कवर किया गया है, जिनमें से 10 अनिवार्य व्यवस्था के अंतर्गत हैं और शेष 16 स्वैच्छिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। इस कार्यक्रम के तहत शामिल यंत्रों एवं उपकरणों के ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ड.) और (च) : बीईई का स्टार लेबलिंग कार्यक्रम प्रौद्योगिकी संशयवादी है। यह कार्यक्रम यंत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बिना, इसके ऊर्जा निष्पादन के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर रेटिंग करता है। प्रौद्योगिकी में उन्नतियों को ध्यान में रखते हुए, बीईई आवधिक रूप से यंत्रों के ऊर्जा निष्पादन को उन्नत करता है, ताकि बाजार में अधिक ऊर्जा कुशल यंत्रों की उपलब्धता बढ़े। बाजार में परिवर्तन के आधार पर, यंत्रों को स्वैच्छिक व्यवस्था से अनिवार्य व्यवस्था में शिफ्ट भी किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 17.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत कवर किए गए उपकरणों और उपकरणों का विवरण:

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण	क्र.सं.	स्वैच्छिक उपकरण
1	रूम एयर कंडीशनर	1	इंडक्शन मोटर्स
2	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजिटेर	2	पंप सेट
3	ट्यूबूलर फ्लोरोसेंट लैंप	3	छत पंखे
4	वितरण ट्रांसफार्मर	4	एलपीजी-स्टोव
5	रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, तल स्थायी)	5	वॉशिंग मशीन
6	डायरेक्ट कूल रेफ्रीजिरेटर	6	कंप्यूटर (नोटबुक / लैपटॉप)
7	रंगीन टेलीविजन	7	गिट्टी (इलेक्ट्रॉनिक / चुंबकीय)
8	इलेक्ट्रिक गीजर	8	कार्यालय उपकरण (प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर, एमएफडी का)
9	परिवर्तनशीलता गतिक (इन्वर्टर) एयर कंडीशनर	9	डीजल इंजन चालित मोनो-सेट पंप
10	एलईडी लैंप	10	सॉलिड स्टेट इन्वर्टर
		11	डीजल जेनरेटर सेट
		12	चिल्लर्स
		13	माइक्रोवेव ओवेन
		14	लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर
		15	सौर जल तापक
		16	डीप फ्रीज़र्स
